

**मैं० भगवती माईन्स, ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर, द्वारा सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट
के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 25.09.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

मैं० भगवती माईन्स, ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (6.319 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना—2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिं० 19.08.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुकम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई०आई०ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदकम में जिलाधिकारी पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिं० 25.09.2023 को परियोजना स्थल, के समीप ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम डॉ० डी०के० जोशी क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदकम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स इको पर्यावरण लैबोरेट्रीज एण्ड कंसल्टेन्ट प्राइलिं० के श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर उत्तराखण्ड तथा इसका खनन क्षेत्रफल 6.319 हौ० है। खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्रों यथा आवासीय भवन, सड़क, पहुंच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन, धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित खनन परियोजना में लगभग 50 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में धूल के दमन हेतु शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 14.09.2006 एवं यथासंशोधित के अनुसार यह प्रस्तावित खनन परियोजना वर्ग (बी १) में वर्गीकृत की गयी है। खड़िया खनन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के जीव जन्तुओं व पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। उपरोक्त प्रस्तावित खनन परियोजना का माईनिंग प्लान भू—तत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। खनन परियोजना के 10 किमी० के अन्तर्गत कोई भी नेशनल पार्क, वाईल्ड लाईफ सैन्चुरी तथा कोर जोन नहीं आता है। माईनिंग में कार्य ओपनकारस्ट मैकेनाइस्ड पद्धति का उपयोग करके किया जायेगा। जिसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग शामिल नहीं है। उपरी सतह में निकाली मिट्टी को डम्प यार्ड में रखा जायेगा। वृक्षारोपण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा अन्य जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जायेगा। सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर खदान क्षेत्र में कोई बस्ती शामिल नहीं है। इसलिए खनन गतिविधि में मानव बंदोबस्त का कोई विस्थापन शामिल नहीं है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खनन परियोजना स्थानीय आवादी को

गंगार प्रदान करेगी तथा जब भी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी। खनन क्षेत्र में सी०ई०आर० मद से मोबाईल शौचालयों की व्यवस्था की गयी है। इस क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना क्षेत्र में स्थापित मोबाईल शौचालयों में पानी की व्यवस्था के संबंध में पृच्छा किये जाने पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा पर्यावरण सलाहकार को निर्देशित किया गया कि मोबाईल शौचालयों स्थान पर पक्के शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था प्रस्तावित परियोजना में की जाए तथा परियोजना प्रस्तावक को बताया गया कि गांव के आस-पास राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के रख रखाव हेतु बजट का आवंटन भी प्रस्तावित परियोजना के सी०एस०आर० मद में किया जाना चाहिये। इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि वृक्षा रोपण तथा सी०एस०आर० मद में जो बजट का आवंटन किया गया है उसका सत्यापन स्थानीय ग्राम प्रधान/वन पंचायत से किया जाना चाहिये।

इकाई के पर्यावरण सलाहकार द्वारा जनमानस से आग्रह किया गया की खनन परियोजना से होने वाले कोई भी नकारात्मक प्रभावों के संबंध में लोकसुनवाई के माध्यम से अवगत कराया जा सकता है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री गणेश सिंह नेगी (पट्टाधारक) ग्राम प्रधान, ग्राम-ताछनी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री गणेश सिंह नेगी द्वारा सभी का स्वागत करते हुये कहा गया कि गांव में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय ग्रामवासीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खेत मालिकों को खेतों का मुवावजा मिलेगा तथा गांव के आस-पास के लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे गांव के बेसहारा लोगों को आय के श्रोत प्राप्त होंगे। हमारे द्वारा जन सहभागिता में भी सहयोग किया जाएगा तथा ग्रामवासियों के सहमति से ही खनन कार्य किया जायेगा।
2. श्री भूपाल सिंह ग्राम-ताछनी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री भूपाल सिंह द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य अगर खनन योजना के अनुरूप नहीं किया जाता है, तो उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है। हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा बताया गया कि अगर खनन परियोजना से कोई आपत्ति है, तो जनता दरबार तथा सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
3. श्रीमती भवानी देवी ग्राम-ताछनी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्रीमती भावनी देवी द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में अधिकतर खेत बंजर है तथा खेती योग्य भूमि पर फसल को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा बेसहारा व विधवा महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय के श्रोत प्राप्त होंगे। जिलाधिकारी महोदया द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को प्रस्तावित परियोजना से लाभ मिलना चाहिये।
4. श्री प्रकाश चन्द्र फुलारा ग्राम-ताछनी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री फुलारा द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय निवासीयों को मिलना चाहिये। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा पृच्छा की गयी कि गांव में कितने परिवार निवासरत हैं। परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में कुल 70 लोग

वर्तमान में निवास करते हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है।

5. श्री धीरज सिंह ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर— श्री धीरज सिंह द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार में वरियता दी जानी चाहियें। प्रस्तावित खनन परियोजना से गांव में आय के श्रोतों में बढ़ोत्तरी होगी। खनन कार्य खनन योजना के अनुसार भी किया जाना चाहियें। हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
6. श्री पूरन चन्द्र उप्रेती ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर— श्री उप्रेती द्वारा कहा गया कि हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये, हम लोग गांव के स्थानीय घोड़ा खच्चर चालक हैं अगर ट्राली द्वारा खड़िया का परिवहन किया जायेगा तो हम इसका विरोध करेंगे।
7. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल ग्राम—ताछनी, तहसील व जनपद—बागेश्वर— श्री काण्डपाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय ग्रामवासी बहुत आशान्वित हैं। गांव की बंजर भूमि में ही खनन कार्य किया जाना चाहियें। खेती योग्य भूमि पर खनन कार्य किये जाने से हमें आपत्ति होगी। तदकम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि ग्राम वासियों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने पश्चात् ही खनन कार्य किया जाना चाहिये।
अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।
उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ डी० के० जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मूँ भगवती मार्गनुसार ग्राम- तालनी, तुहसील सर्व निलान वारेश्वर
 (परियोजना को- ८.३१९ हेक्टर) की पर्यावरणीय स्थिति हेक्टर
 आयोजित लोक सुनवाई में उपायिति का विवरण-

सुनवाई स्थल- ग्राम- तालनी, वर्णेश्वर
 समय सर्व तिथि- प्रातः- १०:०० बजे. दिनांक २३/०७/२३

| क्रमांक | नाम | पठा | हस्ताक्षर |
|---------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1. | अनुराधा पाल | निलाधिकारी, वर्णेश्वर | ✓ |
| 2. | उमा ठीक के जोशी | दीर्घीय अधिकारी (उष्मानीण्ड हत्थी) | ✓ |
| 3. | मुरव चन्द नेशी | पर्यावरण सलाहकार | ✓ |
| 4. | माला ठीक | तालनी | ✓ |
| 5. | प्रवानी ठीक | मवाराइटी | ✓ |
| 6. | मनोज ठीक | ✓ | ✓ |
| 7. | योगी ठीक | ✓ | ✓ |
| 8. | वोग ठीक | ✓ | ✓ |
| 9. | पूर्ण-पूर्ण | ✓ | पूर्ण-पूर्ण |
| 10. | पंचम सिंह | ✓ | ✓ |
| 11. | द्वारा- द्वारा | ✓ | ✓ |
| 12. | | ✓ | |
| 13. | Hanish Chandra Kandpal | ✓ | ✓ |
| 14. | जीतनी | ✓ | जीतनी |
| 15. | मनोज ठीक | ✓ | मनोज ठीक |
| 16. | राज-राजेश | ✓ | राज-राजेश |
| 17. | सुरेश ठीक | ✓ | सुरेश |
| 18. | रमेश सिंह | ✓ | रमेश |
| 19. | माला ठीक | ✓ | माला |

क्र०/प०

नाम

२०

प्रकाशित नोटी

पठ

तहल्ला मार्गपाल

शिवाजी

२१

बंद्रे देवी

तीव्रवि


२४

२२

सुनी बंगला

पुण्य नगर (PUN)

७४



जन मुक्तावाद

खंडन परियोजना : माँ भगवती माइनस ताछनी

गृज व पटेंट - लाल्हनी, तहसील व जिला- बांसवाड़, उत्तराखण्ड
(सोप स्टोन माइनिंग कंपनीले 6.319 हेक्टेक्टर क्षेत्र को खंडन किया है।)

मुनवाई स्थल- ताछनी
मुनवाई स्थल- ताछनी
मुनवाई स्थल- ताछनी

समय एवं तिथि प्रति- 11:00 बजे, दिनांक 25/09/2023

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक मुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

आयोजक
श्रीमत काशीलाल

गारामण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कोंलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
पर्यावरण प्रबल- योग नियुक्त श्री अनंति, याचिका समाजस्कर्मा - मैसें इको पर्यावरण लैबोरटोरी एवं कामोदेन्स प्राप्ति।

जन मुक्तावाद

खंडन परियोजना : माँ भगवती माइनस

गृज व पटेंट - लाल्हनी, तहसील व जिला- बांसवाड़, उत्तराखण्ड
(सोप स्टोन माइनिंग कंपनीले 6.319 हेक्टेक्टर क्षेत्र को खंडन किया है।)

मुनवाई स्थल- ताछनी
मुनवाई स्थल- ताछनी
मुनवाई स्थल- ताछनी

समय एवं तिथि प्रति- 11:00 बजे, दिनांक 25/09/2023

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक मुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

आयोजक
श्रीमत काशीलाल

गारामण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कोंलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
पर्यावरण प्रबल- योग नियुक्त श्री अनंति, याचिका समाजस्कर्मा - मैसें इको पर्यावरण लैबोरटोरी एवं कामोदेन्स प्राप्ति।